झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या ~~08~~ 18 वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती कलसमुनी देवी,
ग्रा०+पो०- भूरी, प्र०-सेन्हा,
जिला - लोहरदगा।

वाद प्रारंभ की तिथि
29/08/2024.

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लोहरदगा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0—18 / 2024	

अपीलकर्ता श्रीमती कलसमुनी देवी, ग्राम+पो0—बूटी, प्रखण्ड—सेन्हा, जिला—लोहरदगा का अपील आवेदन व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

अपीलकर्ता का आरोप है कि उन्हें PDS डीलर द्वारा माह जनवरी से मई 2024 तक ई—पॉस मशीन में अंगूठा नहीं लगने के कारण राशन नहीं दिया गया है, जबकि अपीलकर्ता दिव्यांग हैं एवं उनके दोनों हाथ नहीं है। यह भी कि माह जून 2024 में 35 कि0ग्रा0 अनाज के स्थान पर मात्र 27 कि0ग्रा0 अनाज ही PDS डीलर द्वारा दिया गया है। एवं अपीलकर्ता का राशन कार्ड भी डीलर द्वारा अवैध रूप से अपने पास रख लिया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा इस संदर्भ में दिनांक—09.07.2024 को व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग के समक्ष शिकायत की गई थी जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक—WA/552/2024 दिनांक—11.07.2024 के माध्यम से अपर समाहर्ता—सह—जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लोहरदगा एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को प्रेषित की गई थी किन्तु उक्त मामले में कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त रही।

अतः प्राप्त अपील आवेदन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक—09.09.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद—पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक—09.09.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

D:\Dropbox Files\Anju\आदेश . . . docx232